तत्काल नोटिस/जारी नोटिस/ग्रामाध्यक्ष दि 16/07/15 को पेश हो।

16/07/15 वकील उभयपक्ष/~~अधिवक्ता~~ उप./पीठासीन अधिकारी महोदय ~~प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर~~ राजकार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 13/08/15 को पेश हो। रीडर

वादी पक्ष द्वारा तत्काल नोटिस/जारी नोटिस/ग्रामाध्यक्ष.

वकील उभय पक्ष उप. व मौजूद शिकायतकर्ता ने अर्जी नं-5 का तत्काल नोटिस पेश करने हेतु किया अब पेश करने पर जारी हो फाइली वास्ते पेश करने तत्काल नोटिस/जारी नोटिस/ग्रामाध्यक्ष दिनांक 10/09/15 को पेश हो।

10/09/15 वकील उभयपक्ष/~~अधिवक्ता~~ उप./पीठासीन अधिकारी महोदय ~~प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर~~ न्यायकार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 08/10/15 को पेश हो। रीडर

वास्ते तत्काल नोटिस/जारी नोटिस/ग्रामाध्यक्ष.

वकील उभय पक्ष उप. वकील अर्जी प्रमुख शिकायती का चलाना नहीं चाहता है अर्थात NOT press में लाकर चलाना चाहता है। अतः अर्जी की शिकायती NOT PRESS में लाकर की जाती है। फाइली अग्रिम हेतु वास्तविक दाखिल दफ्तर हो।

No Instruction
रीडर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
नं. पत्र 1071 दिनांक 30/08/17 द्वारा
ग्राम प्र. चायल लखनऊ
की ओर
3278
30/10/17